फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

भागीरथ बनाम उप तहसीलदार

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र

मु0न0 13 /2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर वतारीख अहकामजो इस हुक्मकी तामील में जारी हुए
06.03.2018	प्रार्थी की ओर से वकील श्री सांवरमल उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ़ के निर्णय दिनांक 29.01.2018 अनुवानी सरकार बनाम भागीरथ की कियान्विति स्थगित रखी जाने हेतु पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अन्तरिम स्थगन हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने पत्रावली पर उपलब्ध नक्शे के अनुसार उक्त अतिकमित भूमि आबादी भूमि में से होना बताया, लेकिन जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के अनुसार अतिकमित भूमि की किस्म चारागाह दर्ज है। चारागाह भूमि राजकीय एवं प्रतिबंधित भूमि है। जिस पर अपीलांट को अतिकमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील नम्बर 1132/2011 जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 द्वारा चारागाह भूमि/जोहड़ पायतान और तालाबों की भूमियों पर आवंटन/नियमन किया जाना अवैध है। इस स्थिति में चारागाह भूमि में अतिकमण पूर्णतः अवैध है। अतः प्रथमदृष्टा अन्तरिम स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 04.04.2018 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर, सीकर	
4/4/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। मूल पत्रावली के साथ दि. 20/4/18 को पेश हो।	
20/4/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। मूल पत्रावली के साथ दि. 24/4/18 को पेश हो।	
24/4/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र से संबंधित अपील का निस्तारण हो चुका है अब प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है	

Web Copy - Not Official

अत: प्रार्थना-पत्र स्थगन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील मूल अपील के संलग्न रहे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official